आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · National Trust, Department of Empowerment of Persons with Disabilities

Samarth Scheme (Respite Care)

राष्ट्रीय न्यास पंजीकृत संस्थाओं को ऐसे समर्थ केंद्र चलाने के लिए धन देता है जहां सभी उम्र के दिव्यांगजनों को अस्थायी देखभाल और आवासीय ग्रुप होम की सुविधा मिलती है।

क्या मिल सकता है

समर्थ केंद्र ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता या बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों को बुनियादी चिकित्सा देखभाल के साथ अस्थायी और आवासीय देखभाल देता है। राष्ट्रीय न्यास एक बार का स्थापना खर्च 2,90,000 रुपये और हर वित्तपोषित व्यक्ति के लिए 5,000 रुपये प्रति माह देता है। पहले 3 महीने वह निर्वाह खर्च भी देता है, और कार्य केंद्र को 25,000 से 1,00,000 रुपये तक की स्थापना सहायता मिल सकती है।

किसके लिए है

राष्ट्रीय न्यास में पंजीकृत वे संस्थाएं जो सभी उम्र के दिव्यांगजनों के लिए ग्रुप होम चलाती हैं। परिवार सीधे राष्ट्रीय न्यास में आवेदन नहीं करते; वे व्यक्ति का नामांकन समर्थ केंद्र में कराते हैं।

मुख्य शर्तें

- संस्था राष्ट्रीय न्यास में पंजीकृत हो।
- ग्रुप होम की ज़मीन संस्था की अपनी हो या कम से कम 5 साल के नवीनीकरण योग्य पट्टे पर हो।
- दिव्यांगजनों के साथ काम का कम से कम 2 साल का अनुभव हो, जिसमें राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की चार दिव्यांगताओं में से किसी एक में कम से कम एक साल शामिल हो।
- नामांकन के समय संस्था राष्ट्रीय न्यास या किसी अन्य सरकारी निकाय द्वारा काली सूची में न हो।
- व्यक्ति को ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता या बहु-विकलांगता हो, और वह एक ही समय में दिशा, विकास या घरौंदा योजना में नामांकित न हो।
- एक बैच में 30 व्यक्ति होते हैं, और राष्ट्रीय न्यास केंद्र को तभी निधि देता है जब महीने में कम से कम 9 व्यक्ति नामांकित हों।

दस्तावेज़

- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र (संस्था)
- ग्रुप होम की ज़मीन के स्वामित्व के कागज़ या पट्टा विलेख (संस्था)
- अनुभव और काली सूची में न होने की घोषणा (संस्था)
- व्यक्ति का जन्म प्रमाणपत्र या जन्म तिथि का प्रमाण
- व्यक्ति का दिव्यांगता प्रमाणपत्र
- माता-पिता या अभिभावक का BPL प्रमाणपत्र या आय प्रमाणपत्र
- माता-पिता या अभिभावक का पहचान प्रमाण

आवेदन कैसे करें

1. पंजीकृत संस्था राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर लॉग इन करती है, समर्थ का आवेदन ऑनलाइन भरती है और स्कैन किए दस्तावेज़ अपलोड करती है।
2. वह 1,000 रुपये आवेदन शुल्क ऑनलाइन भरती है और छपा हुआ फॉर्म दस्तावेज़ों के साथ इस तरह भेजती है कि वह 15 दिन के भीतर राष्ट्रीय न्यास को मिल जाए।
3. राष्ट्रीय न्यास कागज़ात जांचता है और फिर प्रस्तावित केंद्र का निरीक्षण करता है। मंज़ूरी मिलने पर संस्था को योजना आईडी मिलती है और स्थापना खर्च की प्रक्रिया शुरू होती है।
4. परिवार किसी समर्थ केंद्र से संपर्क करें। वहां व्यक्ति का आकलन होता है और नामांकन फॉर्म व दस्तावेज़ सत्यापित होने पर नामांकन हो जाता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://nationaltrust.nic.in/samarth-scheme/
आधिकारिक PDF: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3300891a62162b960cf02ce3827bb363c/uploads/2026/04/20260424101313862.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/nt-samarth-respite-care/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।